37

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4–2/666/1994 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 31–3–1994 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 45/1990–91 निगरानी

पतिराम पुत्र शिवचरण कुशवाह
ग्राम धमकन तहसील जौरा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ––––आवेदक

विरूद्व

1– रामपाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह
2– उदयपाल पुत्र साहव सिंह ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदक –1 के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)
(अनावेदक –2 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक **45/1990–91 अपील** में पारित आदेश दिनांक **31–3–1994** के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 71/1986–87 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–2–1990 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनॉक 15–7–1990 को अपील प्रस्तुत की एंव अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,

ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक **45/1990—91 अपील** में पारित आदेश दिनांक **31—3—1994** से अपील समयावाह्य पाकर निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिंलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 45/1990—91 अपील के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 71/1986—87 अपील में पारित आदेश दिनांक 12—2—1990 के विरूद्व अपर आयुक्त के समक्ष दिनॉक 15—7—1990 को अपील प्रस्तुत की है एंव तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार इस हेतु समयावधि 60 दिवस निर्धारित रही है अर्थात आदेश दिनांक 12—2—90 के 5 माह वाद अपील प्रस्तुत हुई है जिसमें से 60 दिवस कम करने पर 3 माह की समयावधि पर विचार किया जाना है। अपर आयुक्त ने 3 माह के विलम्ब को क्षमा न करने के लिये आधार यह लिया है कि कलेक्टर की आर्डरशीट दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने समय पर टीप की है। आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा—5 के आवेदन में स्पष्टीकरण दिया है कि कलेक्टर के निर्णय दिनांक 12—2—90 की जानकारी उसे 14—5—90 को हुई है क्योंकि वह अपने पिता का 2 माह से निरन्तर इलाज कराने अन्यत्र जा रहा था । भले ही आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर की आर्डरशीट 12—2—90 को टीप कर ली हो, किन्तु जब आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत कर बता रहा है कि वह पिता के इलाज में वाहर रहा है इसलिये उसे आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई । अतएव इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता कि यदि वह अपने ग्राम में होता , निश्चित है कि मुरैना आकर अभिभाषक से संपर्क करने पर उसे आदेश की जानकारी समय पर मिल जाती। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर ने मात्र 3 माह के विलम्ब को क्षमा न करके आवेदक को न्यायदान से बंचित किया है।

भू राजस्व संहिता , 1959 (म0प्र0) धारा 47 सहपठित म्याद अधिनियम की धारा—5 — अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के आधार पर निरस्त अपील —

वरिष्ठ न्यायालय व्दारा विलम्ब क्षमा किया गया — मामला अपीलीय न्यायालय में गुणदोष के आधार पर निवटारे हेतु वापिस भेजा जावेगा।

5/ **उपरोक्त विवेचना के आधार पर** अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 45/1990—91 अपील में पारित आदेश दिनांक 31—3—1994 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार कर प्रकरण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अपील प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर